न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

पी0डी0केश नं0–33/2007–08
बैधनाथ महतो, वगै0
बनाम
अशोक कुमार सिंह, प्रधान

28/08/2020

–: आदेश :–

अभिलेख उपस्थापित किया। आवेदक बैधनाथ महतो एवं अन्य ग्यारह की ओर से मौजा खैरा के प्रधान को प्रधानी पद से बरखास्त करने के लिए आवेदन किया गया है। आवेदकगण का आवेदन है कि मौजा खैरा के प्रधान अशोक कु0 सिंह के द्वारा मौजा खैरा के रैयतों को मारपीट कर जख्मी कर दिये है तथा रैयतों की अपनी जमीन पर लगाये गये फसल को जबरन काट लेते हैं तथा वे प्रधानी जमीन को बेचने में तुले हुए हैं।

आवेदकगण के आवेदन के आलोक में विपक्षी प्रधान से कारण पृच्छा की मांग की गई तथा अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

विपक्षी प्रधान का कथन है कि विपक्षी की नियुक्ति प्रधानी पद पर उनके पिता की मृत्यु के बाद संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर की गयी है तथा प्रधानी पद पर नियुक्ति के पश्चात वे सुचारू रूप प्रधान के कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। विपक्षी की नियुक्ति के विरूद्ध आवेदक बैधनाथ महतो ने अपील दायर किया था। अपील में बैधनाथ महतो हार गये हैं। इसी से क्षुब्ध होकर आवेदक ने विपक्षी प्रधान को प्रधानी पद से हटाने के लिए आवेदन किया जो चलने योग्य नहीं है।

अंचल अधिकारी पथरगामा का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा खैरा के दाग नं0–365 रकवा–00–02–00 धूर जमीन पर श्री तारणी प्र0 यादव द्वारा मकान बनाने का शिकायत बैजनाथ महतो वगैरह द्वारा किया गया था। स्थल जाँच में उक्त दाग नं0–365 की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या निर्माण जारी है देखने को नहीं मिला।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रधान पर लगाया गया आरोप निराधार है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।